made in an irregular manner. however, the Government of the National Capital Territory of Delhi have advised the Board to follow the same method in written test as is followed by the Union Public Service Commission so as to ensure that there is no scope left for adopting any unscrupulous means.

आतंकवादी और विध्वंसकारी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम (टाडा) संबंधी मामलों का शीघ्र निपटान

2722. **प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के सभी न्यायालयों में "टाडा" के कितने मामले लम्बित हैं;

(ख) गत एक वर्ष के दौरान ऐसे कितने मामले निपटाए गए; और

(ग) इन मामलों के शीघ्र निपटान की भावी योजना क्या है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) और (ख) यह सूचना केन्द्रीय स्तर पर गृह मंत्रालय द्वारा नहीं रखी जा रही है। यह, संबंधित राज्यों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों के पास उपलब्ध है।

(ग) लंबित "टाडा" मामलों के त्वरित निपटान के लिए राज्य सरकारों को निर्देश जारी किए गए हैं। इन मामलों की सावधिक पुनरीक्षा राज्य स्तर पर राज्य पुनरीक्षा समितियों द्वारा की जाती है। तथापि, इनमें से अधिकांश मामले, देश में विभिन्न मनोनीत टाडा न्यायालयों में लंबित पड़े हैं। राज्य सरकारों की अभियोग शाखाओं को इन मामलों में विचारण जल्दी कराने और स्थगन न लेने के निर्देश दिए गए हैं।

भू-संपत्ति दलालों के पूर्ववृत्त का सत्यापन

2723. **प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली के भू-संपत्ति दलालों की विभिन्न अपराधों में लिप्तता को देखते हुए उनके "पूर्ववृत्त" का सत्यापन करने संबंधी कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या देश के अन्य भागों में भी ऐसी ही कार्रवाई किये जाने का कोई प्रस्ताव है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) और (ख) सम्पत्ति के खरीददारों के हित की रक्षा को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार ने दिल्ली शहर में कार्यरत भू-दलालों के स्वैच्छिक पंजीकरण की एक स्कीम आरम्भ की है। इस स्कीम में 9 राजपत्र बिलों के उपयुक्तों द्वारा उचित समझे गए तरीके से भू-दलालों के पूर्ववृत्त का सत्यापन करना भी शामिल है।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के पास नहीं है।

Implementation of recommendations of Law Commission relating to Terrorism

2724. DR. Y. LAKSHMI PRASAD: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether the recommendations of the Law Commission to change laws to fight terrorism have not yet been implemented;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) the steps proposed for early action in this regard to fight terrorism?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI L.K. ADVANI): (a) to (c) The Law Commission submitted its 43rd Report on Offences against the National Security in the year 1971. Under Chapter VII the subject of subversive activities was discussed. The Commission enclosed "The National Security Bill, 1971" as Appendix I to the report in which under Capters VI and VII provisions regarding the subject of subversive activities and subversive associations were recommended. The above said Report of Law Commission was rejected by the Government. Since then the Law Commission was not entrusted with any study on laws related to terrorism.

The Criminal Law (Amendment) Bill, 1995 which seeks to provide an alternate law for combating terrorism was introduced in the Rajya Sabha in May, 1995 when the erstwhile Terrorist & Disruptive Activities (Prevention) Act, 1987 was allowed to lapse. This Bill has remained pending because of absence of

political consensus on the passing of this Bill. On the advice of this Ministry Law Commission has now taken up a study for formulating requisite law for combating terrorism in the country.

नये राज्यों का सृजन

2725. **श्री गोपाल सिंह जी० सोलंकी:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा हाल में कितने राज्यों का सृजन किया गया है और संविधान के अनुसार अनुमोदित किया गया है;

(ख) ऐसे राज्यों के नाम क्या-क्या है;

(ग) क्या इन प्रस्तावित राज्यों की राजधानियों की भी पहचान कर ली गई है;

(घ) नए राज्य बनाने के लिए सरकार को कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ङ) क्या सौराष्ट्र क्षेत्र को भी पृथक राज्य बनाने हेतु प्रस्ताव विचाराधीन है; तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) से (ग) सरकार ने हाल में किसी राज्य का पुनर्गठन नहीं किया है।

(घ) और (ङ) नए राज्यों के निर्माण संबंधी प्रस्ताव समय-समय पर विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होते हैं। तथापि, सरकार राज्यों के किसी सामान्य पुनर्गठन पर कोई विचार नहीं कर रही है। इस समय, मौजूदा बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्य के पुनर्गठन के लिए कार्रवाई की जा रही है ताकि वनांचल, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड/उत्तरांचल नए राज्यों का सृजन किया जा सके।

Assam-Arunachal Pradesh Boundary Dispute

2726. SHRI NABAM REBIA: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a long standing boundary dispute exists between Assam and Arunachal Pradesh;

(b) whether it is also a fact that the Assam Police and Forest Department are frequently encroaching upon Arunachal Land thereby subjecting innocent Arunachal people to inhuman torture and eviction;

(c) if so, the details thereof; and

(d) the steps taken to resolve this long-standing vexed problem?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI L.K. ADVANI): (a) Yes, Sir.

(b) and (c) Arunachal Pradesh Government have complained about incidents of encroaching by the Assam Police and Assam Forest Department inside Arunachal Pradesh and eviction of Arunachal villagers.

Government of Assam have, however, informed that no encroachment in the territory of Arunachal Pradesh is being done by the Assam Police or Forest Department.

(d) Government has directed both the State Governments to maintain status quo and resolve the problem amicably. Bilateral negotiations at the level of Chief Ministers of both the State Government have taken place. A Joint Ministerial Committee has been constituted by the two State Governments to resolve the boundary dispute.

Government of Assam have informed that they have taken steps for revival and expeditious disposal of the title Suit No. 1/89 pending in the Hon'ble Supreme Court of India in connection with Assam-Arunachal Pradesh boundary dispute.

पेट्रोलियम और पेट्रोलियम पदार्थों में आत्मनिर्भरता

2727. **श्री बरजिन्दर सिंह:**
श्री कपिल सिब्बल:

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश में पेट्रोलियम तथा उससे संबंधित पदार्थों की मांग को पूरा करने के लिए स्वदेशी उत्पादन के साथ साथ आयात का सहारा भी लेना पड़ता है;